राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

[illegible] 27(35)/ग्रावि/ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी/निभू./2016/पार्ट–I   जयपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2019

सचिव
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन की रेटिंग हेतु प्रभावी परफोरमेंन्स इण्डैक्स बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक नवाचार होने के कारण राज्य में अब प्रारम्भ किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा RSETI से भी योजनान्तर्गत मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाने की अनुमति के क्रम में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति द्वारा राज्य में माह जून में SIRD के पर्यवेक्षण में RSETI को प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। उक्त संबंध में समय–समय पर समीक्षा उपरान्त भी RSETI को CSDCI से प्रमाणित मास्टर ट्रेनर उपलब्ध होने में आ रही कठिनाई आ रही है। उक्त संबंध में SIRD / RSETI प्रशिक्षण दाता संस्था को CSDCI/ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर से अपेक्षित सहयोग उपलब्ध नहीं होने के कारण चिन्हित मैसन प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भी मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकें। ऐसी परिस्थितियों में आवंटित लक्ष्य 20596 के विरूद्ध जिलों द्वारा मैसन प्रशिक्षणार्थी के चिन्हिकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भी CSDCI से प्रमाणित मास्टर ट्रेनर उपलब्ध नहीं होने के कारण वाछित लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की रेटिंग हेतु प्रभावी परफोरमेंन्स इण्डैक्स के लिये मापदण्ड में परिवर्तन कर मैंसन प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी शामिल कर 5 अंक निर्धारित किये गये है। उक्त संबंध में राज्यों की समान रूप से रेटिंग हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचारार्थ प्रेषित है।

1. वर्ष 2017–18 तक हेतु जारी रैकिंग में देश के 34 प्रान्तों में से मात्र 11 राज्यों द्वारा ही मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है एवं उसमें से भी केवल 2 राज्यों द्वारा इकाई अंक में अंक प्राप्त किये गये है। जो यह दर्शाता है कि अधिकांश राज्यों में मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2018–19 से ही प्रारम्भ हो सकें है। अतः योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 तक की प्रगति हेतु जारी रैकिंग पैरामीटर्स में मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम को अब माह जनवरी 2019 में सम्मिलित किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।
2. उक्त संबंध में वर्ष 2018–19 तक हेतु जारी रैकिंग में मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित रखते हुये इस हेतु निर्धारित 5 अंकों का निम्नानुसार गतिविधिवार विभाजन किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा, जिससे आवास निर्माण की तरह ही मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम की गतिविधिवार समीक्षा के साथ–साथ राज्यों को प्रगति सुधार के समान अवसर उपलब्ध हो सके।
   1. मैसन प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों का पंजीयन– 1 अंक
   2. मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्पन्न होने के आधार पर– 2 अंक
   3. सी.एस.डी.सी.आई. द्वारा मैसन के प्रमाणीकरण के आधार पर– 2 अंक

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर विचार कर राज्यों की रेटिंग में उक्तानुसार परिवर्तन करने हेतु संबंधित को निर्देशित करावेंगे। जिससे योजनान्तर्गत राज्य की क्रियान्वयन की रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं साथ ही सभी राज्यों को प्रगति सुधार के समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. श्री गया प्रसाद, उप महाप्रबंधक (ग्राआ), भारत सरकार, नई दिल्ली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि